रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255368
SG-DL-E-12072024-255368

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 96
No. 178]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 96

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

फा.सं. 2(5)/स्था./पुरा./2023/1202—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59—एचआईएम(प) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 21/02/1978 की अधिसूचना सं0फा0 2(64)/77—एस.II द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाले बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में '**ओरिएंटल सहायक**' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ —**

(क) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, ओरिएंटल सहायक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** — उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** — ऐसा कोई भी व्यक्ति, —

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकती है।

6. **बचाव** — इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	ओरिएंटल सहायक
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–4 (25500–81100/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है/ गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु–सीमा में 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट** : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पद भरे जाने हैं, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य :–** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू/फारसी/अरबी सहित उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड से मौलवी, फज़ल या मुंशी कामिल या मुंशी फ़ाज़िल पाठ्यक्रम। **नोट** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में

			कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):– केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सांविधिक अथवा स्वायत्त निकाय/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी:– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–3 में अथवा समकक्ष के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित। अथवा (3) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 में अथवा समकक्ष के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित। तथा (ख) कॉलम संख्या 7 में वर्णित शैक्षिक योग्यताएँ रखने वाले। **नोट** : (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति –** 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– अध्यक्ष 2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा/पुरातत्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य 3. उप–सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य **नोट** : यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**		संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
चोखा राम गर्ग, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 10th July, 2024

F. No. 2(5)/Estt./Archy./2023/1202—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No. F.2(64)/77-S.II dated 21/02/1978 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Oriental Assistant' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.

(1)These rules may called the Department of Archaeology, Oriental Assistant Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	*Name of Post.*	Oriental Assistant
2.	*Number of Posts.*	01 * (2024) *Subject to variation dependent on workload
3.	*Classification.*	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non Ministerial
4.	*Pay Level in the Pay Matrix.*	Level–4 (Rs. 25500-81100)
5.	*Whether Selection Post / Non-Selection Post.*	Not applicable
6.	*Age limits for Direct Recruits.*	Between 18 - 25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by All-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.
7.	*Educational and other qualification required for direct recruits.*	**Essential :** 1. Senior Secondary or equivalent pass with Urdu / Persian / Arabic as an elective subject from a recognized Board. 2. Maulvi, Fazal or Munshi Kamil or Munshi Fazil Course from recognized Madarsa Board. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
8.	*Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.*	Not applicable
9.	*Period of Probation if any.*	Two years for direct recruit.
10.	*Method of Recruitment.*	By deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.
11.	*In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.*	Deputation (ISTC) : Officers from the Central Government / State Governments / Union Territory Administration / Public Sector Undertakings / Statutory or Autonomous Bodies / Recognized Universities / Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-3 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; OR (iii) with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-2 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department.

		AND (b) possessing the educational qualifications detailed in column No. 7. **Note:-(**Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application).
12.	*If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.*	***Group C Departmental Confirmation Committee:*** 1. Principal Secretary/ Secretary (Power), GNCT of Delhi: Chairperson 2. Secretary (ACL/Archaeology), GNCT of Delhi: Member 3. Deputy Secretary (Finance), GNCT of Delhi: Member **Note:** Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	*Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.*	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in The Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy. (ACL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.12 18:59:52 +05'30'